

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 365] नई दिल्ली शनिवार, अगस्त 5, 1972/श्रावण 14, 1894

No. 365] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1972/SRAVANA 14, 1894

स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G&Q)]

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th August 1972

S.O. 522(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Madhya Pradesh for a period of six months with effect from 12th August 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

गृह संचालय

[सीमा सुरक्षा (II) विभाग (जी एंड डब्ल्यू)]

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1972

सा० नि० 522(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्ध के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि

(1485)

उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 12-8-72 से 11-2-73 तक छह मास के लिए मध्य प्रदेश से सेवारत होगी वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एंड क्यू)]

S.O. 523(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Maharashtra for a period of six months with effect from 9th August, 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 523(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 9-8-72 से 8-2-73 तक छह मास के लिए महाराष्ट्र से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एंड क्यू)]

S.O. 524(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Tamil Nadu for a period of six months with effect from 11th September 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 524(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 11-9-72 से 10-3-73 तक छह मास के लिए तमिलनाडू से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एंड क्यू)]

S.O. 525(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Manipur for a period of six months with effect from 6th August 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 525(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 6-8-72 से 5-2-73 तक छह मास के लिए मणिपुर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एंड क्यू)]

S.O. 526(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Mysore for a period of six months with effect from 16th August 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 526(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 16-8-72 से 15-2-73 तक छह मास के लिए मैसूर से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एंड ड्यू)]

S.O. 527(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Andhra Pradesh for a period of six months with effect from 16th August 1972 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

सा० नि० 527(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 22-8-72 से 21-2-73 तक छह मास के लिए आन्ध्र प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एंड ड्यू)]

S.O. 528(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of Sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every persons referred to in the said clause (a) serving in Uttar Pradesh for a period of six months with effect from 27th August 1972, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS.II(G&Q).]

G. PARKASH, Jt. Secy.

सा० नि० 528(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 27-8-72 से 26-2-73 तक छह मास के लिए उत्तर प्रदेश से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II(जी एंड ड्यू)]

ज्ञान प्रकाश, संयुक्त सचिव।

